

08.05.24
2024/124

FORM NO.111

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

08-05-2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राजेश यादव पुत्र स्वर्गीय रुउमल यादव बनाम नन्दाराम पुत्र गीगायम वगै०

किस्म मुकदमा:- विविध कैवियट प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर-16 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	मुकदमा नम्बर-16 / 2024
------------	---------------------------------------	------------------------

08.05.2024

प्रार्थी वकील श्री बाबूलाल चौधरी एड० के द्वारा विविध प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 10.10.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र / प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर(नीमकाथाना)

